



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम - "मिनी रत्ना- कम्पानी)

केन्द्रीय राज्य फार्म

सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335804

सीआईएन: यू74899डीएल1963जीओआई 003913

(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कंपनी)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)

CENTRAL STATE FARM

Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804

CIN: U74899DL1963GOI 003913

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone: 01509-220006, 220084, 223877

वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com

ईमेल/ E-mail: csf.suratgarh@indiaseeds.com



No. CSF/SOG/HRT/05/2023-24/

दिनांक:- 01/06/2023

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) स्थित फलों के बगीचे वर्ष 2022-23 में किये जाने वाले विभिन्न उद्यानिकी कार्य को करने हेतु ऑनलाइन निविदायें दिनांक 04/06/2023 सुबह 10.0 बजे से 17/06/2023 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि 17/06/2023 को दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा भरने से पहले NEFT/RTGS/D.D. के माध्यम से निविदा प्रपत्र राशि 590/- रुपये (500+18% GST) अथवा ईएमडी राशि रुपये 10000/- (रुपये दस हजार मात्र) मात्र फार्म खाते में जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निविदा अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10.00 से शाम 5.00 बजे तक फार्म से निविदा प्रपत्र राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकती है व निगम की वेब साईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

निविदादाता को अपने पेन कार्ड/टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु आधार अथवा अन्य सबूत की फोटो प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

प्रबन्धक (उ.)
कृते फार्म प्रमुख

PARTICULARS	DETAILS
Date of issue of NIT	02.06.2023
Date and time for submission of online bid	From 04.06.2023 10:00 AM To 17.06.2023 01:00 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ, Suratgarh	17.06.2023 on 3.00 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT/D.D.)	Rs. 590/- (Rs. 500+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online on e-Nivida)	Rs. 10,000/-
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Suratgarh (Raj.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Sh.Veer Singh, Manager(Production) Mob.- 08949598268

DECLARATION OF NON-BLACKLISTING

I/We.....Proprietor/Partner/Authorized signatory of M/S..... do hereby solemnly confirm and declare as under:

1. My above mention firm / name is not been Black listed/ Delisted/ Prosecuted by any Central/ State/ U.T. Government Organizations/ Departments/Autonomous body / Research institutions/ Corporations from participation in tenders/ contracts.
2. That there is no criminal case pending against me in the Court of law.
3. I/We understand that if during any stage of fruit Contract awarded to me by Central State Farm, Suratgarh, Shri ganganagar, it comes to knowledge that any information/documents related to fruit contract submitted by me are false then CSF, Suratgarh, Shri ganganagar may take disciplinary action against me as per terms and conditions of the fruit Contact.

It is verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

Signature: -----

Place: -----

Name of Authorized Signatory: -----

Date: -----

Address: -----

Phone/Mobile No: -----

Technical Requirement of Tender

PARTICULARS/ब्यौरा	DETAILS/विवरण
Copy of GST Registration (*Not mandatory)/ जीएसटी पंजीकरण की प्रति (*अनिवार्य नहीं)	
Copy of Pan Card/ पैन कार्ड की प्रति	
Copy of valid Id Proof i.e. Aadhar Card/Voter Id/Driving License etc. वैध आई डी प्रूफ यानी आधार कार्ड / वोटर आईडी / डाइविंग लाइसेंस आदि की कॉपी।	
Copy of Firm Letter Head/ फर्म लेटर हेड की प्रति	
Details of EMD Deposite (Rs.)/ ईएमडी जमा राशि का विवरण (रु.)	
Terms & Conditions of Tender duly signed Note : Each page of Terms & Conditions should be signed by contractor/Tenderer विधिवत हस्ताक्षरित निविदा के नियम और शर्तें नोट: नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर ठेकेदार/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए	
Undertaking regarding non-blacklisting of his firm/Individual उसकी फर्म/व्यक्ति को काली सूची में न डालने के संबंध में वचनबद्धता	

Signature with Stamp :

Name :

Address :

Mobile and E Mail ID :



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम - "मिनी रत्न- कम्पनी")

केन्द्रीय राज्य फार्म

सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335804

सीआईएन: यू74899डीएल1963जीओआई 003913

(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कंपनी)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)

CENTRAL STATE FARM

Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804

CIN:U74899DL1963GOI 003913

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone: 01509-220006, 220084, 223877

वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com

ईमेल/ E-mail: csf.suratgarh@indiaseeds.com



क्रमांक: - के.रा.फा./सूरत./उद्यान/05/2023-24

दिनांक: 01.06.2023

टेण्डर फार्म वर्ष 2023-24 के उद्यान कार्य हेतु

उद्यान एवम् नर्सरी कार्यों की दरें वर्ष 2023-24

क्र. सं.	कार्य विवरण	छोटे पेड़ 1-3 वर्ष आयु	बड़े पेड़ 3 वर्ष से अधिक आयु
		नई दरें (रूपये)	नई दरें (रूपये)
1.	नया बाग लगाना व खाली स्थान पर पेड़ लगाना :- गद्दों का साईज 3X3X3 फुट वृत्ताकार का खोदना खाद डालना मिलाना व गड्ढा भरना। प्रति गड्ढा	
2.	नर्सरी से पौधे को लाकर पेड़ लगाना व पानी डालना (एक बार)। प्रति पौधा	
3.	बाग की गुड़ाई व खाद उर्वरक डालना का कार्य :- पेड़ों के नीचे बिना जुती जमीन को फावड़े से गुड़ाई करना, खाद उर्वरक डालना, गुड़ाई द्वारा फावड़े से मिलाना व तने पर 1-2 फीट तक मिट्टी चढ़ाना पेड़ के नीचे की ऊँची मिट्टी को पेड़ के पास खाली स्थान के गड्ढे में फेंकना प्रति पौधा प्रति पौधा
4.	दवाई छिड़काव बाग में फार्म ट्रैक्टर द्वारा स्प्रेयर से पेड़ों पर दवाई का छिड़काव प्रति टैंकर (400 लीटर) प्रति टैंकर	
5.	बाग में कटाई व छंटाई का कार्य :- फलदार पेड़ों की सूखी टहनियों की कटाई, छंटाई करना, कटी लकड़ी को पेड़ों के नीचे से उठाकर खेत से बाहर निस्तारण करना।	किन्नू माल्टा मौसमी अमरुद बेल नीबू	किन्नू माल्टा मौसमी अमरुद बेल नीबू
		(प्रति पौधा)	(प्रति पौधा)
6.	बोर्डों पेंटिंग कार्य :- बोर्डों पेंट तैयार करना, कटाई व छंटाई की गई शाखाओं के कटे भाग पर पेंट से पुताई तथा तने पर 1-2 फीट की उंचाई तक पेंटिंग करना पेड़ की शाखा में काले गोंद वाले स्थानों की पुताई करना। प्रति पौधा प्रति पौधा
7.	बाग में सुधार कार्य :- (अ) सूखे बीमार अवांछित पौधों की 2 फीट गहराई तक जड़ से उखाड़ना व फार्म ट्रॉली में लोड करके स्टोर पर उतारना। (ब) बाग में फलदार पौधों के बीच में उगे हुए जंगली पौधों को जड़ से उखाड़ कर बाहर निकालना प्रति पौधा प्रति पौधा
8.	बाग में फलदार पौधों की डिसवडिंग करना प्रति पौधा प्रति पौधा
9.	जट्टी खट्टी के फल तोड़कर बीज निकालना, क्यारी बनाकर बीज बोना। प्रति किलो	

10.	पोलीथीन की थैली (बालू+खाद+मिट्टी) मिश्रण से भरना, क्यारी बनाकर लाईन में लगाना व बीज बोना व पानी लगाना।प्रति थैली	
11.	पोलीथीन की थैलियों में निराई व गुड़ाई करना (10X1 मी. क्यारी)।प्रति क्यारी	
12.	घास काटकर लाना और पिण्डी सहित पौधे निकालकर घास में बांधकर पैकिंग करके देना। प्रति पौधा	
13.	छोटे बीजू पौधों को क्यारी में या पौलीथीन में षिपट करना और पानी लगाना।प्रति पौधा	
14.	नयी क्यारी 10X1 मी. आकार की बनाकर तैयार करना। प्रति क्यारी	
15.	नर्सरी की क्यारी को खुरपी से निराई, गुड़ाई करना(10X1 मी. क्यारी)प्रति क्यारी	
16.	बडिंग/ग्राफटिंग से तैयार पौधो को क्यारी बनाकर षिपट करना व पानी लगाना।प्रति पौधा	
17.	ट्रक में पौधो को चढाना या उतारना।प्रति पौधा	
18.	पोलीथीन की थैलियों को क्यारी बनाकर क्यारी से क्यारी में लाईन में सेटिंग करना (दर प्रति थैली) प्रति थैली	
19.	फार्म ट्रेक्टर ट्राली से बालू रेत लोड कर नर्सरी (EPO या HO) में लाकर उतारना।प्रति ट्रॉली (लोडिंग/अनलोडिंग)	
20.	प्राइवेट ट्रेक्टर ट्राली से बालू रेत लोड कर तथा नर्सरी (EPO या HO) में लाकर उतारना।प्रति ट्रॉली (लोडिंग/अनलोडिंग)	
21.	फार्म के ट्रेक्टर ट्राली में गोबर की खाद कीमत सहित लोड करके लाना व EPO या HO में डालना।प्रति ट्रॉली (लोडिंग/अनलोडिंग)	
22.	प्राइवेट ट्रेक्टर ट्राली में गोबर की खाद कीमत सहित लोड करके लाना व EPO या HO में डालना।प्रति ट्रॉली (लोडिंग/अनलोडिंग)	
23.	प्लेवा व प्रथम पानी लगाना दर प्रति एकड प्रति एकड	
24.	दूसरा व अन्य पानी लगाना प्रति एकड	
25.	खालों का कार्य:- खालों का डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना दर प्रति मीटर प्रति मीटर	
	खालों की घास निकालना व पटरी की सफाई करना दर प्रति मीटर प्रति मीटर	
	खालों का डिसिल्टिंग करना व पटरी की सफाई करना दर प्रति मीटर प्रति मीटर	
26.	वानिकी पौधों का वृक्षा रोपण का कार्य:- 1X1X1 फुट साईज का गड्ढा खोदना, नर्सरी से पौधे को पिण्डी सहित उखाड़ना व लगाने हेतु ले जाकर लगाना तथा एक बार पानी डालना।प्रति पौधा	
27.	यूरिया व डीएपी खाद का बुरकाव करना (दर प्रति एकड) प्रति एकड	

ठेकेदार के हस्ताक्षर-----

ठेकेदार का नाम-----

पता-----

आधार नं०-----

पेन नं०-----



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम - "मिनी रत्नक - कम्प नौ)

केन्द्रीय राज्य फार्म

सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335804

सीआईएन: यू74899डीएल1963जीओआई 003913

(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कंपनी)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)

CENTRAL STATE FARM

Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804

CIN: U74899DL1963GOI 003913

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone: 01509-220006, 220084, 223877

वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com

ईमेल/ E-mail: csf.suratgarh@indiaseeds.com



क्रमांक: - के.रा.फा./सूरत./उद्यान/05/2023-24

दिनांक: 01.06.2023

उद्यान कार्यों के लिए नियम व शर्तें वर्ष 2023-24

- बाग में उद्यान कार्यों के कार्यों का टेण्डर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा-खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो।
- विभिन्न उद्यानिकी कार्यों को करने के इच्छुक ठेकेदार को उद्यान के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों का ठेका एक वर्ष के लिए लेने हेतु **ई.एम.डी** रुपये **10000/- (रुपये दस हजार मात्र)** व **निविदा प्रपत्र राशि 590/- रुपये (500+18% GST)** को निविदा भरने से पहले फार्म खाते में जमा कराना होगा। असफल निविदादाता की ई.एम.डी राशि निविदा समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- फार्म खाते का विवरण निम्न प्रकार है -
Account No : **34056542572**
IFSC Code : **SBIN0007774**
Name of Account holder : **NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH**
Bank Name : **State Bank of India, Suratgarh**
- सफल निविदादाता की ई.एम.डी राशि निविदा प्रक्रिया पूरी होने व कार्य आदेश जारी होने के बाद यदि सफल निविदादाता ई.एम.डी. राशि को धरोहर राशि में समायोजित नहीं करवाता है तो बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- सफल निविदादाता को ठेके के सम्बन्ध में रुपये **500/- (रुपये पांच सौ मात्र)** के नान् ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर जो पार्टी को उपलब्ध करवाना होगा पर एक **समझौते (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर** करने होंगे।
- सफल निविदादाता को समझौते के साथ धरोहर राशि (Security Money) 10000/- जमा करानी होंगी। उक्त राशि में ई.एम.डी की राशि भी समायोजित की जा सकती है। सुरक्षा राशि कार्य समाप्ति के बाद में बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- यह अनुबंध दोनों फर्मों के बीच समझौता होने की तिथि से लागू होगा और अनुबंध की वैधता अवधि के अनुसार मान्य होगा। एक बार अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद सहमत दरें अनुबंध की अवधि के लिए मान्य होंगी जैसा कि निविदा में निर्धारित है। अनुबंध को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए समान नियम-शर्त और दरों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
- फर्म द्वारा एकबार उद्धृत मूल्य अनुबंध की अवधि के लिए, बिना किसी वृद्धि/वृद्धि के किसी भी कारण से, जहां भी अनुबंध में विशेष रूप से प्रदान किया गया हो, के लिए रहेगा। उद्धृत मूल्य पीएफ, ईपीएलआई, ईएसआई, बोनस, बीमा और किसी भी अन्य वैधानिक देनदारियों के समावेशी होगा।
- मूल्य उद्धृत करते समय बोलीदाता को राजस्थान सरकार के प्रचलित लागू न्यूनतम वेतन (Minimum wages) को ध्यान में रखना चाहिए। यह बोलीदाता की जिम्मेदारी है कि वह अनुबंध के तहत किए जाने वाले सभी दायित्वों के बारे में खुद को शिक्षित करे।
- श्रमिक ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बन्धित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि आवश्यकता होने पर फार्म द्वारा कभी भी जाँचा जा सकता है।

11. यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने/सहमति पत्र पर स्वीकृति के बाद कार्य करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों का प्रबन्ध समय से नहीं कर पाता है तो उद्यान प्रभारी/खण्ड प्रभारी अपने स्तर पर प्रबन्ध करेंगे यदि इस कार्य में निर्धारित दर से अधिक देना पड़ता है या निगम को कोई हानि होती है तो वह राशि ठेकेदार के द्वारा फार्म खाते में जमा राशी, बिल व अन्य कार्य के बिलों से काटी जायेगी।
12. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का श्रमिक फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा यदि कोई ठेकेदार पशु रखते हुए पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रद्द किया जा सकता है।
13. उद्यानिकी कार्यों को करने के लिए कस्सी, दंराती तथा कसौला आदि ठेकेदार/ठेकेदार के मजदूर स्वयं लेकर आयेगें।
14. कार्यों की जांच का कार्य फार्म द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निःशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के द्वारा फार्म खाते में जमा राशी, बिल व अन्य कार्य के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जावेगी।
15. किसी भी प्रकार के कार्य के लिए किसी भी निश्चित समय पर कोई अग्रिम देय नहीं होगा ठेकेदार अपने खर्च पर श्रमिकों संसाधनों व श्रमिकों की व्यवस्था करेगा। विशेष स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।
16. कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा तथा बिल में से आवश्यकतानुसार टैक्स आदि की कटौती की जावेगी। बिल राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं/फर्म के बैंक खाते में ही किया जायेगा। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य समय पर पूरा करवाना होगा।
17. ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के द्वारा फार्म खाते में जमा राशी, बिल व अन्य कार्य के बिलों से की जावेगी।
18. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक पलोट/मुराबा/चक का बिल अलग-अलग देना होगा।
19. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यों का बिल पखवाड़े अथवा महीने के हिसाब से प्रस्तुत करना होगा।
20. ठेकेदार को मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि किसी परिस्थितिवश मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था फार्म को करनी पड़ी तो वह पूरा खर्चा फार्म की निर्धारित दरों पर ठेकेदार द्वारा देय होगा।
21. फसल में पानी लगाते समय खालों की देख रेख एवं पानी लगाने तक का कार्य मन्जूर दरों पर करना होगा। यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निःशुल्क निकालना होगा।
22. यदि फार्म सुपरवाइजर/अधिकारी/कर्मचारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा निदेशक महोदय या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
23. यदि ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता है तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्च पर करेगा। यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो, जो भी खर्चा फार्म को होगा वह ठेकेदार से भरपाई किया जायेगा।
24. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
25. श्रमिक ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई (बीज उपचार एवं फसलों में सप्रे करवाते समय) का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने स्वयं देने होंगे। फसलों में सप्रे करते समय अथवा बीजों का उपचार करते समय **बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों** को काम पर नहीं लगायेगा तथा उद्यान इन्चार्ज द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा। कार्य के दौरान उक्त श्रमिकों को दवाई लगाने की स्थिति में, श्रमिक ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर उपचार करवायेगा।
26. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार बच्चों व शराब पीए हूए मजदूरों को फार्म में कार्य पर लगाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।

27. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसकी ईएमडी राशि/सुरक्षा राशी या दोनो को जब्त करते हुए उसका नाम 02 वर्षों के लिये डिबार सूची में डाल दिया जायेगा व उद्यानिकी कार्यो व अन्य कार्यो से जुडे बिलो का भुगतान नहीं किया जायेगा।
28. सभी कार्यो के लिए पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी।
29. सफल निविदादाता को आवंटित चक/क्षेत्र में यदि उसके द्वारा कोई कार्य समय से नहीं किया जाता है या कार्य हेतु मजदूर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य किसी अन्य ठेकेदार से सफल निविदादाता की दर से करा लिया जायेगा, जिससे उसे कोई ऐतराज नहीं होगा।
30. **Arbitration clause** (मध्यस्थता खंड) : यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पार्टियां कानून के न्यायालय में जानें से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृषि अधिकारी